

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय-आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के पत्र क्रमांक एफ.6(9) परीक्षा क/प्राध्यापक- (स्कूल शिक्षा)/गृह विज्ञान (छात्र)/2015-16/1125 दिनांक: 11.07.2018 के द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) गृह विज्ञान में नेटिविक्स लेवल 1-12 पर चयनांतराल सलग्न सूची में गिपरणाकित अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अगिस्तावित किये जाने के फलस्वरूप इन अभ्यर्थियों का प्राध्यापक गृह विज्ञान (स्कूल शिक्षा) के पद पर दो वर्ष के लिये परिवीक्षाधीन प्रादेशाणार्थी (प्रावेशनर टर्नो) के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) - गृह विज्ञान के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करना की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 1 (12) डीओपी / ए-11 / 2005 दिनांक. 20.01.2006 एफ एफ 12 (06) एफडी (नियम) / 2005 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ 15 (1) एफडी / रुल्स / 2017 दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.17 के प्रावधानानुसार राज्य सेवा में कार्यरत चयनित अभ्यर्थियों को विद्यमान चलन एवं नव चयनित कार्मिकों को नियत पारिश्रमिक नियमानुसार देय होगा। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 8 (1) कार्मिक / क - 2 / 03 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अशदागी पशन गजजानान्तर्गत होगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे:-

01. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा ही जारी किया गया हो जा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति कीमीलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए।" यदि कोई अभ्यर्थी कीमीलेयर की श्रेणी में आता है तो उनके कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं वस्तुस्थिति की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को भिजवाई जावे।
02. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र माता पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए है। विवाहित महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जारी किया हुआ हो तो वह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, संबंधित अभ्यर्थी अपनी माता-पिता की आय के आधार पर जारी पिता के नाम से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगा। यदि संबंधित अभ्यर्थी ऐसा नहीं करता है तो उसे कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं वस्तुस्थिति की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को भिजवाई जावे।
03. भरतपुर एवं धौलपुर जिले के जाट समुदाय वर्ग को राज्य अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल किये जाने सम्बंधी अधिसूचना दिनांक 10.01.2000 को माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा रिट. पिटीशन संख्या डी.बी. सी. डब्ल्यू. एल. 6046/99 रतनलाल बागडी बनाम सरकार व अन्य निर्णय दिनांक 10.08.2015 द्वारा निरस्त किये जाने के परिप्रेक्ष्य में शासन के कार्मिक विभाग के पत्र क्रमांक 17(9)कार्मिक/क-2/2015 के अनुसार उक्त निर्णय दिनांक 10.08.2015 से भरतपुर एवं धौलपुर के जाट समुदाय का आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे किसी अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाये।
04. अभ्यर्थी के शैक्षिक / प्रशिक्षक अंकतालिकाओं / प्रमाण पत्रों एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिया प्राप्त की जाकर उनका मूल दस्तावेजों के साथ मिलान करे। संबंधित अभ्यर्थियों से मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित अभ्यर्थियों से विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, तलाकशुदा/विधवा महिलाओं से पुनर्विवाहित नहीं होने सम्बंधी शपथ पत्र एवं अन्य नाम-उपनाम सम्बंधी शपथ पत्रादि प्राप्त करने के उपरान्त ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे।
05. सक्षम विवेकिता अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल प्रति ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में सेवारत हैं, उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
06. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित जिला पुलिस-अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त एवं सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं होना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा स्थानों में कार्यभार ग्रहण नहीं करवाये। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में सेवारत हैं, उनके लिये सदाचरण रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

1

- 07 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार को अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीआपी/ए-2 /95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न सतानों के फलस्वरूप कुल सतानों की संख्या 02 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
- 08 जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की है उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से शपथ पत्र लेवें कि उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं। दस्तावेज के त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरेखित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व नोटिस के निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट <http://education.rajasthan.gov.in/Secondary> एवं <http://rajmsa.nic.in> से नियुक्ति आदेश की प्रति डाउनलोड कर समस्त आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए संबंधित पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार करने हेतु अधिकृत होंगे।

उक्त नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1464-1466/2017 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम कैम्प्टन गुरावेन्दर सिंह व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 09.05.2017 के निर्णय एवं एस.पी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 8857/2017 अरविन्दकुमार व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 02.06.2017 के निर्णय के अध्यक्षीन रहने के साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4695-4699/2018 रिशाल व अन्य बनाम आयोग व अन्य के अन्तर्गत एस.एल.पी. संख्या 14306-14310/2017 पारित आदेश दिनांक 03.05.2018 की अनुपालना में माननीय न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर प्राथमिक स्कूल शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा 2015 विषय गृह विज्ञान (छात्र) के पूर्व घोषित परिणाम दिनांक 08.06.17 के अतिक्रमण में दिनांक 22.06.18 को जारी किये गये नवीनतम परिणाम के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्राप्त अभिरूपायना के आधार पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 30.07.2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज सूचनाएं सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

सलग्न- 03 आशार्थियों की सूची



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,


राजस्थान, बीकानेर

दिनांक :- 20/7/18

क्रमांक - शिवेश/मा/सरथा/सी-1/नियुक्ति- गृह विज्ञान /पीएससी-15/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 01 शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राज. जयपुर।
- 02 शारदा उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-2)/कार्मिक (ग्रुप-2) विभाग, राज. जयपुर।
03. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
04. संबंधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा /जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-1/II)
- 05 कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा का विभागीय वेबसाइट पर आदेश अपलोड करने हेतु
- 06 संबंधित प्रधानाचार्य राउमावे / संबंधित आशार्थी
- 07 अनुभाग अधिकारी मापनीय प्रतिवेदन/परिष्कृता/ओएससी प्रभाग कार्यालय हाजा।
- 08 निजी/राक्षत पत्रावली



सयुक्त-निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा-राजस्थान,

बीकानेर


## कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-4/नियुक्ति-गृह विज्ञान/आरपीएससी-15/2018

दिनांक 20/7/18

क्र० सं०	मेरिट नं०	वर्ग	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	स्थायी पता	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान	जिला
1	106	SC,WE,WD	भगवती वर्मा	राम कल्याण वर्मा	08.08.1988	म०नं० 42-सी, न्यू मास्टर कॉलोनी, जिला झालावाड	OBCF	GSSS BADBAD, BAKANI (08320404302 )(KHANPUR)	JHALAWAR
2	84	BC,WE	सुनीता शर्मा	जयमलराम	24.05.1985	वी.पी.ओ. सरदारपुरा जीवन, तह० सादुलशहर, जिला गंगानगर	OBCF	GOVT. ADARSH SENIOR SEC.SCH., KULI, DANTARAMGARH (08130406904 )(DANTARAMGARH)	SIKAR
3	85	BC,WE	आशा कुमारी सेन	रमेश चन्द्र सेन	28.12.1975	इन्दिरा कॉलोनी मीरशाहअली, जयपुर रोड, जिला अजमेर	OBCF	G.CENTRAL G.HR.SEC. SCHOOL PURANI MANDI, AJMER (08211502910)	AJMER



  
(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर